भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1600

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

भूमि की वापसी किए बिना मुआवजा

†1600 श्री विष्णु पद राय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के जनप्रतिनिधियों के अभ्यावेदन पर कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री/गृह मंत्री और ए. एंड. एन. प्रशासन को संबोधित 31.10.2014 के अपने पत्र में उन किसानों को भूमि को वापस किए बिना, उनको राहत/मुआवजा जारी करने का अनुरोध किया है जिनकी जमीन स्थाय़ी रूप से जलमग्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वापस की गई भूमि को किसानों को लौटाने के लिए तथा किए गए भुगतान को मुआवजा के रूप में घोषित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) जिन किसानों ने जमीन वापस नहीं की है तथा जिन्हें मुआवजा जारी नहीं किया गया है उनको जारी करने की स्थिति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (घ): इस अभ्यावेदन की जांच की जा रही है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।